कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/अनु./बी–1/बजट स्वीकृति/17–18/20 दिनांक18.10.2017

उप निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
जोधपुर।

विषयः– एस.बी.सिविल.याचिका संख्या 12805/15 श्रीमती निशा राठौड व अन्य बनाम राज्य सरकार में दायर अवमानना याचिका संख्या 67/17 श्रीमती निशा राठौड व अन्य बनाम श्री नरेशपाल गंगवार।

सदंर्भः– प0 18(155) प्रा0शि0/वि.प्र./17 जयपुर दिनांक 18.10.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के द्वारा उक्त प्रकरण में वित्त विभाग की आई डी संख्या 101705337 दिनांक 18.10.2017 द्वारा जारी निम्नांकित अनुसार सहमति के अनुसरण में स्वीकृति प्रदान की गई हैः–

''एस.बी.सिविल रिट संख्या 12805/15 श्रीमती निशा राठौड बनाम श्री नरेशपाल गंगवार व अन्य (दायर अवमाननावाद संख्या 67/17) में पारित निर्णय दिनांक 05.11.2015 की पालना हेतु जिन मदों में भगवान दास टोडी प्रकरण में अंतिम रूप से निर्णय हुआ चुका है। उन मदों की सीमा में विभागीय प्रस्ताव को दृष्टिगत रख पूर्व सहमतियों की निरन्तरता में निर्णय दिनांक 05.11.2015 की पालना की सहमति विभाग में पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी की जांच की शर्त पर दी जाती है।

विभागीय प्रस्तावनुसार अवमाननावाद संख्या 67/17 में माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक 05.11.2015 की पालना हेतु वित्त (नियम) विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन अनुदान के भुगतान हेतु बजट मद 2202–01–197–(01)–(02)–प्रतिबद्व–32 डिक्री प्रभार (राज्य निधि) में राशि रूपये 27.93 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान की वित्त विभाग की सहमति प्रदान की जाती है।''

उक्त स्वीकृति के अनुसरण में बजट मद 2202–01–197–(01)–(02)–प्रतिबद्व–32 डिक्री प्रभार (राज्य निधि) में राशि रूपये 27.93 लाख अखरे रूपये सत्ताईस लाख तेरानवे हजार का बजट आंवटित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वित्त विभाग की सहमति में दी गई उक्तानुसार सभी शर्तों की अक्षरशः पालना तथा नियमों और प्रक्रियाओं की पालना करते हुए भुगतान की कार्यवाही अविलम्ब अमल में लायी जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. शासन उप सचिव प्रारंभिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा (विधि) जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि शासन के पत्रानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।
4. अनुभाग अधिकरी बजट अनुभाग को लेख है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर को बजट आनलाईन करावें।
5. उप विधि परामर्शी प्रारं शिक्षा कार्यालय हाजा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वित्तीय सलाहाकर
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर